THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) There is no proposal for UNDP assistance for local governance & decentralised administration.

(b) to (g) Does not arise.

Election to rural/urban local bodies

3989. SHRI S. S. SURJEWALA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) by when the election to rural/urban local bodies under the new law will be completed in the country; whether Government propose to delegate the real and effective power including financial powers, to these local bodies and if so, whether Government framed any model to be adopted in this behalf; and

(b) whether Government are aware that most of the State Governments are diluting the spirit of the new Panchayati Raj/Urban local bodies by not delegating effective and tangible powers to these bodies; if so, whether Government would plug loopholes?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF RURAL AREAS & EMPLOYMENT (DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT) (SHRI UTTAMBHAI H. PATEL): (a) and (b) Elections to Panchayati Raj Institutions and Urban Local Bodies is the responsibility of the State Government/ State Election Commission. State Governments are required to complete the election process in respect of these bodies within such time as is absolutely necessary for completing the election process. States have amended their legislation/ brought in fresh legislation to conform to the constitutional requirements. Similarly delegation of powers and functions, including financial ones to Panchayati Raj and Urban Local bdies is also the responsibility of the State Governments.

जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार को आबंटित धनराशि

3990. **श्री राम गोपाल यादव:** क्या प्रधान मंत्री राज्य सभा में 30 मार्च, 1995 को अतारांकित प्रश्न सं० 2802 के दिये गये उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 1994-95 के लिये "जवाहर रोजगार योजना" के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बिहार को जिस समस्त कार्य के लिये धनराशि आबंटित की गयी है उसे कब तक पूरा कर लिया जायेगा ; और

(ख) 1995-96 के लिये कितनी धनराशि आबंटित करने का विचार है?

ग्रामीण, क्षेत्र और रोजगार मंत्रालय में राज्यमंत्री (ग्रामीण विकास विभाग) (श्री उत्तमभाई एच. पटेल) : : (क) जवाहर रोजगार योजना की मार्गदर्शिकाओं के अनुसार एवं कार्यान्वयन एजेंसियों को उपलब्ध कराई गई समस्त निधियों को उस वर्ष विशेष के दौरान ही खर्च करना होता है। उस वर्ष के दौरान यदि स्थगित निधि प्राप्त निधियों के 15 प्रतिशत से अधिक है तो योजना के अन्तर्गत निधियों की वित्तीय किस्त के रिलीज के समय केन्द्रीय अंश की अधिकता में कटौती की जाती है, कार्य वार्षिक कार्य योजना के आधार पर निपटाये जाते हैं, जिसमें नये कार्य को शुरु करने से पहले अपूर्ण कार्य को पूरा करने को प्राथमिकता दी जाती है। योजना के अन्तर्गत दो वित्तीय वर्षों के बीच पूरे न किये जा सकने वाले कार्य को करने की अनुमति नहीं दी जाती है।

(ख) 1995-96 के दौरान जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत बिहार को 61621-21 लाख रुपए की राशि (राज्य अंश सहित) आबंटित की गई है।